प्रेस नोट **दिनांक 21.08.2026**

प्राचीन हनुमान मंदिर से मुकुट चोरी की घटना का सफल अनावरण
थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा घटना में सलिप्त शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया मुकुट बरामद

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्येक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्रा के नेतृत्व में थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन हलधरपुर मऊ के पास डीह बाबा मंदिर के पास से मु0अ0अ0 **150/2026, धारा 317(2), 305(d), 331(4) BNS से** संबंधित अभियुक्त दीपक खरवार पुत्र सुदई खरवार (उम्र लगभग 30 वर्ष) **निवासी** ग्राम सेमराजपुर, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ के कब्जे से मंदिर से चोरी के मुकुट 01 अदद (05 खंडित टुकड़ों में) बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 18.07.2026 को वादी अवधेश कुमार यादव पुत्र श्री शिवपूजन यादव (निवासी ग्राम बड़ागाँव पकड़ौहा, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ) द्वारा सूचना दी गई कि 17/18.07.2026 की मध्य रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा गांव के प्राचीन हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर प्रतिमा पर सुशोभित चांदी का मुकुट (जो वर्तमान में पीले रंग का दिखता था) चोरी कर लिया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना हलधरपुर पर तत्काल **मु0अ0सं0 150/2026, धारा 317(2), 305(d), 331(4) BNS** के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी का विस्तृत विवरण: घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना हलधरपुर पुलिस टीम द्वारा रोकथाम जुर्म-जरायम व चेकिंग के दौरान बेलौझा मोड़ पर मौजूद थे कि इसी दौरान दिनांक 20.08.26 की रात्रि को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन हलधरपुर मऊ के पास डीह बाबा मंदिर के समीप चोरी का माल बेचने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची। पुलिस बल को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली से समय करीब 22:25 बजे घेरकर पकड़ लिया गया।

- **तलाशी व पूछताछ:** अभियुक्त की जामा तलाशी लेने पर उसके लोअर की दाहिनी जेब से एक काली पन्नी में रखे **धातु के सुनहरे रंग के 05 टुकड़े** बरामद हुए। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने ही बड़ागाँव हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर मुकुट चुराया था तथा पहचान छिपाकर बेचने की नीयत से उसने मुकुट को कई टुकड़ों में तोड़ दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

- **नाम व पता:** दीपक खरवार पुत्र सुदई खरवार (उम्र लगभग 30 वर्ष) **निवासी:** ग्राम सेमराजपुर, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग -

- **मु0अ0सं0:** 150/2026 **धाराएं:** 317(2), 305(d), 331(4) BNS **थाना:** हलधरपुर, जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण:

- **चोरी किया गया मुकुट:** 01 अदद (05 खंडित टुकड़ों में)

बाइक सवार बदमाशो द्वारा कट्टा सटाकर एक अदद सोने की चेन, बीस हजार रुपया नगद व एक अदद मोबाइल लूट लेने की कारित हुयी घटना मे संलिप्त 01 नफर वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से लूटे गये 1400/- रुपये ,एक अदद अवैध तमन्चा व एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन मे व प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी श्री राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21.08.2026 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पनियरा रेलवे अण्डर पास के पास से मु0अ0स0 278/2026 धारा 309(4) BNS से संबंधित 01 नफर अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र महेन्द्र राम निवासी भरकुंआ खण्डेरायपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से लूटे गये 1400/- रुपये बरामद व एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया उपरोक्त में धारा 317(2), 317(4), 61(2)ए, 318(4), 336(3), 338 बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0 की बढोत्तरी कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

उल्लेखनीय है कि गुप्ता मेडिकल स्टोर बढुआ गोदाम के पास दिनांक 09.08.2026 को अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी को कट्टा सटाकर एक अदद सोने की चेन, बीस हजार रुपया नगद व एक अदद मोबाइल लूट लिया गया था, जिसके सम्बन्ध मे वादी मुकदमा जयप्रकाश मौर्या पुत्र स्वामीनाथ मौर्या नि0 ताजोपुर डाडेपार थाना सरायलखंसी जनपद मऊ द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 278/2026 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। थाना सरायलखंसी की पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यो के आधार पर 03 नफर अभियुक्तो को पूर्व मे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा शेष 01 नफर वाछिंत अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी, इसी क्रम मे थाना सरायलखंसी की पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर शेष 01 नफर अभियुक्त **प्रदीप कुमार पुत्र महेन्द्र राम निवासी भरकुंआ खण्डेरायपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र 24 वर्ष** को पनियरा रेलवे अण्डर पास के पास से दिनांक 21.08.2026 को समय करीब 6.50 बजे गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से लूटे गये 1400/- रुपये बरामदव एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोंग-

मु0अ0स0 278/2026 धारा 309(4)/317(2)/317(4)/61(2)ए/318(4)/336(3)/338 बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0

वाछिंत अभियुक्त प्रदीप का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 180/23 धारा 379,411,413,414 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 181/23 धारा 379,411,413,414 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 183/23 धारा 379,411,413,414 भादवि थाना रानीपुर जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 135/25 धारा 115(2),351(2),352 बीएनएस थाना रानीपुर जनपद मऊ
5.मु0अ0स0 278/2026 धारा 309(4)/317(2)/317(4)/61(2)ए/318(4)/336(3)/338 बीएनएस व 3/25 आयुध अधि0

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

प्रदीप कुमार पुत्र महेन्द्र राम निवासी भरकुंआ खण्डेरायपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त प्रदीप के कब्जे से लूटे गये 1400/- रुपये बरामद व एक अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होना

जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा 03 पीडितो का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 2,92,449-/ (दो लाख बानवे हजार चार सौ उन्चास रुपये) पीडितो को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में दिनांक- 21.08.2026 को यूपीआई के माध्यम से पीड़ित के खाते से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 2,92,449 -/ (दो लाख बानवे हजार चार सौ उन्चास रुपये) साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

थानावार विवरण-

- **1.**थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित /आवेदिक अभिषेक कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ कुल धनराशि – 10114-/ रूपया तथा आवेदिका बन्दना यादव निवासी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ की कुल धनराशि 2339 रुपये वापस कराया गया।

- 2. साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद मऊ द्वारा आनलाइन ठगी के शिकार आवेदक अजीत सिंह पुत्र स्व० राजबहादुर सिंह निवासी बहरीपुर नई बस्ती, थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ का (2,79,996.9/.रू) धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया तथा पूर्व में 5,00,000 लाख वापस कराया जा चुका था। अब तक कुल 07 लाख 79 हजार 996 रुपये वादी के खाते मे वापस कराये जा चुके है आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

घटनाक्रमः-

अज्ञात साइबर फ्राडर द्वारा आवेदक को भ्रम में डालकर 10 प्रतिशत प्राफिट के साथ प्रतिदिन पैसा वापस करने व कमीशन का लालच देकर आवेदक के साथ धनराशि 1965000/- रूपये का फ्राड कर लिया गया था। उक्त प्रकरण में आवेदक के प्रर्थना पत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए साइबर क्राईम थाने द्वारा साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद थाना साईबर क्राईम जनपद मऊ पर मु0अ0सं0 18/2025 धारा 318(4) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट का कराते हुए फ्राड धनराशि होल्ड कराया गया

निम्नलिखित सामान्य सी लग रही बातों का ध्यान ना देने के कारण साइबर फ्रार्ड का शिकार हो रहे लोग

1. लाटरी, लकी ड्रा, कैश बैक, रिवार्ड प्वाइंट, सस्ते लोन, नौकरी लगवाना, मोबाइल टॉवर, शादी आदि के बारे में कोई भी कॉल, मैसेज या विज्ञापन पर भरोसा न करें और न ही किसी खाते या ई-वालेट में रूपया जमा करें।

2. ई-मेल के जरिए कोई भी व्यक्ति लाटरी या अपनी सम्पत्ति दान करने की बात करें तो उस पर भरोसा न करें।

3. OLX पर कुछ भी बेचने या खरीदने में सावधानी बरतें। किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। रूपये प्राप्त करने के लिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने के लिए आवश्यकता नही होती। सामान प्राप्त होने पर ही भुगतान करें।

4. किसी भी माध्यम से प्राप्त लिंक पर क्लिक कर अपनी निजी जानकारियाँ या बैंक खाते से जुडी हुई जानकारियाँ (जैसे-PIN, OTP, C.V.V, CARD NO, UPI PIN, PAN NO, ADHAR NO, MOBILE NO, E-Mail ID) दर्ज न करें।

5. Google Pay, Phone Pay, Paytm आदि के द्वारा रूपये के लेन देन की सुविधा में एक विशेष सुविधा दी गयी है जो कि “Request Money” के नाम से जानी जाती है जिसका कार्य रूपये उधार लेने के लिए किया जाता है, अतः PAY, CANCEL, LATER पर ध्यान देते हुए क्लिक करें।

6. किसी कॉल या SMS से प्राप्त सिम अपग्रेड (2G/3G/4G) करने की रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें। और न ही अपने मोबाइल नम्बर से कोई SMS फारवर्ड करें।

7. यदि आपका सिम अचानक काम करना बन्द कर दे या नेटवर्क गायव हो जाये तो तत्काल कस्टमर केयर से सम्पर्क करें। साइबर ठग आपकी निजी जानकारी चुराकर SIM बन्द कराकर डुप्लीकेट SIM जारी करा सकते है।

8. किसी भी फर्जी PHONE CALL, SMS, Whatsapp, E-mail या किसी भी माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन फार्म / Google Form के लिंक को न तो क्लिक करें और न ही कोई जानकारी साझा करें।

9. Facebook, Whatsapp, Instagram आदि पर अनजान लोगो से न जुडे और न ही अनजान लोगो से चैट / वीडियो कॉल पर बातचीत करें। साइबर ठग आपके साथ हुए चैट का स्क्रीनशॉट या वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकार्डिंग कर उसे वायरल करने की धमकी देकर रकम की मांग कर आपको मुसीबत में डाल सकते है।

10. एटीएम से निकासी / कार्ड स्वेप करके खरीदारी अपने सामने ही करें। तथा पिन को हाथ से छुपा कर डाले । किसी भी अनजान व्यक्ति की सहायता न ले।

11. किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपना हॉट-स्पॉट डाटा शेयर न करें।

12. गूगल पर सर्च किये गये Customer Care NO का इस्तेमाल न करें। आपके साथ धोखा हो सकता है।

साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है

किसी भी प्रकार का साइबर अपराध होने पर तत्काल निम्नलिखित तरिकों के माध्यम से सूचना दें।

1. साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930/112 पर कॉल करें।

2. www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। तथा जनपद थाना व साइबर क्राइम सेल से तत्काल सम्पर्क करें।

थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग 13000/- वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 21.08.2026 को गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीडित/आवेदक अबु ओजैफा पुत्र शमीम अहमद निवासी भटकुआपट्टी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ (कीमती लगभग- 13000/- रुपये) को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

15 लीटर कच्ची शराब के साथ 01अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्येक्षण में क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ग्राम हरिगांव के पास हाइवे के किनारे से मु0अ0स0 354/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम से संबंधित अभियुक्ता अनीता पत्नी मारवाड़ी विश्वकर्मा निवासनी हरिगांव थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विरण –

अनीत पत्नी मारवाड़ी निवासनी ग्राम हरिगांव थाना घोसी जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

मु0अ0स0 354/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम

प्रेस नोट

दिनाँक 21.08.2026*

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1. थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त सतीश चन्र पुत्र नरेश राम धनवासी चोरपाकला थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

2. थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मुमताज अहमद पुत्र स्व0 मुख्तार अहमद निवासी डोमनपुरा (खुदबकिया) थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

#ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत कब्जे से अवैध शराब बरामद मामले में 02 अभियुक्तो को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 4,000/- रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित।

पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मु0अ0सं0 287/2011 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचक एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 21.08.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध शराब बेचने बाले दो अभियुक्तों 1.सुन्नर राम पुत्र स्वर्गीय बलिराम निवासी ग्राम सैदपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ 2. जय राम चौहान पुत्र स्वर्गीय राम रूप चौहान निवासी मालव पिटोखर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को जेल में बितायी गई अवधि की सजा व कुल 4,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।